कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग फैजाबाद।

पत्रांक 515/14–4 दिनांकः फैजाबादः अगस्त 11/ 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी ,सरयू क्षेत्र, फैजाबाद

विषयः– जनपद–फैजाबाद में फैजाबाद–इलाहाबाद रा0 मा0 संख्या–330 (ओल्ड–96) के किमी. 12.600 से किमी0 12.950 तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु 0.840 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक 201 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 263/14–10 दिनांक 19–7–2017 तथा पत्रांक 2952/14–10 दिनांक 21–3–2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1890/II-C-FP/UP/Road/19199/2016 दिनांक 10–3–2017 तथा पत्रांक 234/ II-C-FP/UP/Road/19199/2016 दिनांक 28–7–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज ,लखनऊ के पत्रांक 8बी/यूपी/06/18/2017/एफ0 सी0/129 दिनांक 8–3–2017 के द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशाषी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड , (रा0मा0) लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर के पत्रांक 845/3काम/ईपीसी/2017 दिनांक 09–5–2017 एंव पत्रांक 1285/3काम/ईपीसी/2017 दिनांक 01–8–2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। लोक निर्माण विभाग की आख्या के आधार इस वन प्रभाग द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित वांछित अभिलेख/मानचित्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग फैजाबाद।

पत्रांक / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक 234/ II-C-FP/UP/Road/19199/2016 दिनांक 28–7–2017 के कम में।

2–अधिशाषी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, (रा0मा0) लो0 नि0 वि0, सुलतानपुर को उनके पत्रांक 1285/3काम/ईपीसी/2017 दिनांक 01–8–2017 के कम में।

(डा0 रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग फैजाबाद।

Proposed Forest Land Diversion of 0.84 ha with felling of 201 number of trees for Establishment of Toll Plaza on Faizabad-Allahabad NH-330 (Old NH-96) between Km. 12.600 to Km. 12.950 in Faizabad District of Uttar Pradesh

Observ No	Observation of GOI	Reply
1.	Reasons / Justification of location of Toll Plaza at the proposed site are not provided with the proposal.	स्वीकृत स्थल पर प्रस्तावित टोल प्लाजा स्थल पर अधिक चौडाई की आवश्यकता होने के कारण एवं आबादी भाग होने एवं तमसा नदी सेतु के पहुॅच मार्ग के अति निकट होने के कारण ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से नहीं रह पाता एवं सदैव जाम बने रहने की संभावना बनी रहती । अतः लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियो के निर्देशन पर टोल प्लाजा निकटतम दूरी पर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा गया, जिसकी अनुमति भारत सरकार, मोर्थ के फाईल सं0–NH-12014/ 11/2014/UP/NH-II दिनांक 18.04.2016 द्वारा प्रदान की गयी है, तदनुसार टोल प्लाजा हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन कर प्रस्ताव भेजा गया है।
2.	The alternatives of locating the toll plaza analysed/examined and there results have also not been provided with the proposal	प्रस्तावित स्थल का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार किया गया है कि संदर्भित भाग से गुजरने वाले अधिकतम वाहन टोल प्लाजा से होकर गुजरें, जिससे कि अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो सके। उक्त आधार पर ही टोल प्लाजा लोकेशन प्रस्तावित की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, सड़क परिवाहन एवं राज मार्ग मत्रांलय, नई दिल्ली (मोर्थ) के फाईल सं0–NH-12014/11/2014/ UP/NH-II दिनांक 18.04. 2016 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग के किमी0 13 (चैनेज 12.600 से 12.950) में ही टोल प्लाजा की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है (छाया प्रति संलग्न) अतः अन्य कोई विकल्प पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।
3.	The uploaded Survey of India topo sheet and geo referenced map for proposed forest land diversion has not been authenticated by the concerned District Level forest official.	बिन्दु सं0–3 डी0एफ0ओ0, फैजाबाद द्वारा निर्धारित मानचित्र एवं जियो रेफरेन्स मैप पर हस्ताक्षर करा दिया गया है।
4.	Forest land gazette notification is not legible, un authenticated and the concerned portion of notification relevant for the proposal has not been marked/highlighted.	नोटिफिकेशन की सुस्पष्ट फोटो प्रति संलग्न कर दी गई है साथ ही उसे हाईलाईट भी कर दिया गया है।
5.	The forest area calculation submitted with the proposal is incorrect and is not as per the layout plan.	टोल प्लाजा निर्माण हेतु भूमि आवश्यकता मात्र 34 मी0 की ही है जो कि सड़क सीमा के अन्तर्गत ही है। फारमेंशन चौड़ाई 10 मी0 छोड़कर शेष मार्ग के दोनों ओर 12–12 मीटर चौड़ाई एंव 350 मी0 लम्बाई ली गइ है और इसी के अनुसार ही गणना भी की गई है जो कि सही है।
6.	The information provided at Sr. No. 13(i) part II shows proposed compensatory afforestation on equivalent forest land which is contradictory to provisions contained in para 3.2 of Handbook of FCA. The Compensatory Afforestation Scheme should conform to the guidlines provided.	भारत सरकार की गाईड लाइन्स के अनुसार के क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य एफ0सी0ए0 एक्ट 1980 के पैरा 3.2 के अनुसार प्रभावित वृक्षों का दस गुना क्षतिपूरक वनीकरण एंव दस वर्ष रख–रखाव का कार्य आरक्षित वन भूमि कुर्न्दखाकला , कुमारगंज में प्रस्तावित किया गया है प्राक्कलन की प्रति संलग्न है।
7.	The location of proposed CA is liner strip of the same road which may be widened in future and thus needs revision.	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण मार्ग वृक्षारोपण (लीनियर वृक्षा0) के स्थान आरक्षित वन ब्लाक में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी के0 एम0 एल0 फाईल मय जी0 पी0 एस0 लोकेशन सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।
8.	The language of certificate under FRA 2006 enclosed with the proposal is not as per format.	वनाधिकार कानून–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र सलग्न है।
9.	The legal status of forest land has not been mentioned in Site Inspection Report submitted with the proposal.	प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है जो कि लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग फैजाबाद